न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/14

1. रेशम सिंह
2. बालसिंह
3. नक्षत्र सिंह आयु सभी वयस्क पिसरान हरनेक सिंह जातियान रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कुलदीप कौर बेवा स्व0 मानसिंह जाति रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कमलजीत कौर
3. कलजीत कौर
4. गुजजीज कौर
5. नानकी कौर
6. संदीप कौर
7. सवर्णजीत कौर
8. निकी कौर पुत्रियॉ स्वर्गीय मानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता कुलदीप कौर बेवा मानसिंह जातियान रामदासिया निवासी ग्राम बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बृजमोहन गौत्तम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुनील गौत्तम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी कुल किता 03 कुल रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे और न ही

ताकत के बल पर वादी को उसके कब्जे से बेदखल करे । यदि दौराने वाद वादीगण को त भूमि से प्रतिवादीगण बेदखल कर दे तो उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.07.2015 को अपने अभिभाषक द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादगस्त आराजी पर पक्षकारान के मकानात बने हुए हैं उक्त भूमि पर संयुक्त कब्जा है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञ का वाद बिना साक्ष्य के स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । उक्त भूमि कृषि नहीं होकर आवासीय भूमि है जिस पर मकानात आदि बने हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और पक्षकारान की सहमति के बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट ली गई जिससे पूर्णतया साबित है कि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों के मकानात आदि बने हुए हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

...न पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस ...र मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट ली गई जिससे पूर्णतया साबित है कि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों के मकानात आदि बने हुए हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/14

1. रेशम सिंह
2. बालसिंह
3. नक्षत्र सिंह आयु सभी वयस्क पिसरान हरनेक सिंह जातियान रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कुलदीप कौर बेवा स्व0 मानसिंह जाति रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कमलजीत कौर
3. कलजीत कौर
4. गुजजीज कौर
5. नानकी कौर
6. संदीप कौर
7. सवर्णजीत कौर
8. निकी कौर पुत्रियॉ स्वर्गीय मानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता कुलदीप कौर बेवा मानसिंह जातियान रामदासिया निवासी ग्राम बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 99/दावा/2011

1. कुलदीप कौर बेवा स्व0 मानसिंह जाति रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कमलजीत कौर
3. कलजीत कौर
4. गुजजीज कौर

नानकी कौर
. संदीप कौर
7. सवर्णजीत कौर
8. निकी कौर पुत्रियॉ स्वर्गीय मानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता कुलदीप कौर बेवा मानसिंह जाति रामदासिया निवासी बडानयागॉव । ——वादी

बनाम

1. रेशम सिंह
2. बालसिंह
3. नक्षत्र सिंह आयु सभी वयस्क पिसरान हरनेक सिंह जातियान रामदासिया निवासी ग्राम बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. हरनेक सिंह आत्मज त्रिलोक सिंह जाति रामदासिया निवासी बडनयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी । ——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 21.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बृजमोहन गौतम एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुनील गौतम के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 21.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, क